<u>न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।</u>

उपस्थितः पीठासीन अधिकारीः गौरव शर्मा (एच० जे० एस०)
J O I.D. U P 6276
जमानत प्रार्थना पत्र सं० – 219/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं० – 561/2026

1– नवीन पुत्र लाल सिंह, निवासी–राधा विहार, थाना–लोनी बॉर्डर, जिला–गाजियाबाद, उ०प्र०।
2– शिवम् उर्फ चुददी पुत्र दीन दयाल उर्फ लीलू, निवासी–धामा एन्क्लेव, थाना–लोनी बॉरडर, जिला–गाजियाबाद, उ०प्र०।

–––––प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

–––––विपक्षी

मु०अ०सं०– 02/2026
धारा–109(1),352,3(5) BNS,
व 4/25 आयुध अधिनियम
थाना– लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद।

<u>दिनांक 17–03–2026–</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण 1. नवीन पुत्र लाल सिंह 2. शिवम् उर्फ चुददी पुत्र दीन दयाल उर्फ लीलू की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–02/2026, धारा– 109(1),352,3(5)भा०न०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना–लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्तगण की पैरोकार रेखा द्वारा शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस प्रार्थना पत्र के अलावा प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– मैनें प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सप्पन द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर दिनांक 02.01.2026 को समय 02:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 31.12.2025 को रात्रि में शिवम उर्फ चुददी ने और समीर ने मेरे भाई तपन के साथ गाली–गलौच की आस–पास के लोगों ने समझाकर घर भेज दिया। दिनांक 01.01.2026 को समय लगभग 2:30 बजे दोपहर को मेरा भाई तपन घर से नितेश और रोहित के साथ नितेश घर की ओर जा रहा था पानी के प्लांट के पास शिवम और नवीन रात की बात को लेकर मेरे भाई से फिर से गाली गलौच करने लगे, शिवन ने काल कर के विशाल को बुला लिया और शिवम के साथ भी आए, सब मिलकर मेरे भाई के साथ गाली गलौच करने लगे, तभी शिवम उर्फ चुददी ने चाकू निकाल लिया और बाकी सबने मेरे भाई को पकड़ लिया जैसे ही शिवम ने मेरे भाई को चाकू मारा मेरे भाई ने हाथ आगे कर लिया और हाथ से रोक लिया चाकू देखकर मेरा भाई उनसे छुटकर भागने लगा तभी पीछे से नवीन ने मेरे भाई को जान से मारने की नियत से कमर में चाकू मार दिया मेरा भाई लहुलूहान हो गया और ये सबी लोग मौके से फरार हो गये, फिर हमारे पड़ोसी राकेश जी मेरे भाई को गंभीर हालात में अंकुश के साथ जी०टी०बी० हास्पिटल ले गये जहां पर मेरे भाई का ईलाज चल रहा है और उसकी हालात गंभीर बनी हुई है। अतः प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को झूठा व फर्जी रूप से फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रथम

सूचना रिपोर्ट काफी देरी से दर्ज कराई गई है, जिसकी देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को मुकदमा उपरोक्त में मुल्जिम बनाया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने ऐसा कोई कृत्य किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार होने से गवाहान को, तोड़ने अथवा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का समाज में अथवा जनता में कोई किसी प्रकार का भय व्यापत नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण एक प्रतिष्ठित व जिम्मेदार व्यक्ति है साथ ही प्रार्थी/अभियुक्तगण का समाज में बहुत ही मान–सम्मान है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का उपरोक्त केस से कोई वास्ता ताल्लुक व लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने व गवाहान को तोडने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जमानत स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की नियत से चाकू से वार किये हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्तगण पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई तपन के साथ शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने, मारपीट करने व हत्या करने के प्रयास करने का अभियोग है। चाकू मारकर हत्या का प्रयत्न करने का अभियोग एक गंभीर अभियोग है, जिसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। केस डायरी में उपलब्ध वादी मुकदमा के बयान तथा स्वतंत्र साक्षियों के बयान में यह कथन प्रकाश में आया है कि "शिवम के साथ मनीष, विशाल और गगन आए तथा तपन के साथ गाली गलौच करने लगे, तभी **शिवम उर्फ चुद्दी ने चाकू निकाल लिया तथा नवीन ने तपन को जान से मारने की नियत से कमर में चाकू मार दिया"**। एम०एल०सी० के दौरान पीडित का इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपने बयान में यह कथन किया है कि "पीड़ित तपन को गंभीर हालत में लाया गया था। पीडित तपन की Right side back में Sharp weapon के लगने से पेफडे के पास हवा का गुब्बारा बन गया था, जिससे जान का खतरा बन गया था।" अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण 1.नवीन पुत्र लाल सिंह 2. शिवम् उर्फ चुददी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।